

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09 / आ0-1-22 / 2014

/ स्वा0 / पटना, दिनांक

/ स्वास्थ्य

विभागीय अधिसूचना सं0 952(9) दिनांक 16.10.14 के द्वारा डा0 सरोज कुमार, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना को निलंबित किया गया था। इस संदर्भ में यह तथ्य दृष्टिगोचर हुआ कि डा0 कुमार, बिहार स्वास्थ्य सेवा के नियमित बहाल चिकित्सक नहीं है अपितु संविदा पर इनकी सेवा ली जा रही है।

2. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में निर्गत निलंबनादेश से संबंधित अधिसूचना सं0 952(9) दिनांक 16.10.14 को निरस्त किया जाता है तथा अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को निदेशित किया जाता है कि दिनांक 17.9.14 को शिशु रोग आकस्मिक विभाग पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं लगाए जाने के कारण रौशन कुमार की हुई दुखद मृत्यु के संबंध में इनकी संलिप्तता के संदर्भ में आश्वस्त होते हुए दिनांक 30.11.14 तक संविदा के शर्तों के अनुरूप उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना

ज्ञापांक: 980(9)

/ स्वा0, पटना, दिनांक: 7/11/2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना एवं नालंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना / क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना / सिविल सर्जन पटना / अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0 पटना एवं एन0एम0सी0एच0, पटना / कोषागार पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 सरोज कुमार, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव / विशेष कार्यपदाधिकारी (श्री शंकर प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,8,9,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव